न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : चांदमल वर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं. : 06/2017

जेठाराम पुत्र उमाराम जाति रेगर साकिन गोपालसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —अपीलार्थी

बनाम

1. रूपराम पुत्र जगराम जाति जाट साकिन लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ — रेस्पोण्डेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :
1. श्री सुभाष चन्द्र, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, रेस्पो. सं. 1 की ओर से।
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, श्रीविजयनगर रेस्पो. की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 13.03.2018

1. यह अपील, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 01.05.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

2. अपील मीमो, संक्षेप में, इस प्रकार है कि जेठाराम पुत्र उमाराम जाति रेगर सा. गोपालसर को रोही गोपालसर में खसरा नं. 181/2 में 28.00 बीघा बारानी भूमि सम्वत् 2041 में टी.सी. पर आवंटन हुई जिसके दिनांक 16.10.2008 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त टी.सी. आवंटन भूमि आवंटन से लेकर उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है। रेस्पो. सं. 1 ने उक्त खसरा में बिना कब्जा के होते हुए इन्तकाल सं. 432 स्वीकृत करवा लिया जो निम्न कारणों से निरस्ती योग्य है। ग्राम गोपालसर का इन्तकाल सं. 432 में खसरा नं. 421/181 में 4.149 है0 बारानी टी.सी., खसरा नं. 574/285 में 3.795 है0 बारानी टी.सी. व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Scanned by CamScanner

खसरा नं. 181/2 में 4.022 है0 बारानी आराजीराज दर्ज किया गया है, जबकि रेस्पो. सं. 1 को जारी खातेदारी अधिकार पत्र क्रमांक 1466 दिनांक 08.08.2009 में खसरा नं. 181/21 व 285/2 में 10.120 है0 रकबा अंकित है। खसरा नं. 181/2 में आराजीराज भूमि नहीं होने पर भी रेस्पो. सं. 1 को उक्त खसरा में भूमि दी गई, जबकि उक्त खसरा में रेस्पो. 1 को भूमि आवंटन ही नहीं थी। अपीलांट को रोही गोपालसर में खसरा नं. 181/2 में 7.084 है0 भूमि की खातेदारी दिनांक 16.10.2008 को जारी की गई व उक्त खातेदारी आदेश का इन्तकाल सं. 398 दिनांक 07.12.2010 को दर्ज किया गया। इससे साबित होता है कि खसरा नं. 181/2 में आराजीराज भूमि नहीं थी, फिर भी खसरा नं. 181/2 का हवाला देकर इन्तकाल सं. 432 दर्ज किया गया जो निरस्ती योग्य है। अपीलांट की रोही गोपालसर में खसरा नं. 181/2 में 7.084 है0 खातेदारी भूमि है जिस पर मौका पर कब्जा काश्त है। कम्प्यूटर जमाबन्दी बनने से उक्त खसरा नं. 181/2 से नया खसरा नं. 421/181 बना है जिस पर अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है व वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। नकल दैनिक डायरी पटवारी हल्का लालगढ़ दिनांक 16.12.2016 से स्पष्ट जाहिर है कि रेस्पो. सं. 1 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। बिना कब्जा काश्त के रिकॉर्ड के विपरीत इन्तकाल सं. 432 दिनांक 01.05.2012 स्वीकृत किया गया जो विधिविरुद्ध व एकतरफा तौर पर स्वीकृत किये जाने से निरस्ती योग्य है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र संलग्न है। अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध पारित होने से मियाद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। रेस्पो. सं. 1 कुछ अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर दिनांक 16.01.2017 को मौका पर गया तब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का इल्म हुआ। जानकारी होते ही नकल आदि लेकर, फीस की व्यवस्था कर, बिना कोई देरी किये अपीलांट ने अपील पेश कर दी है जो कि जानकारी के अन्दर मियाद है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत

क्रमशः ..... पेज 3 पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन पर इकतरफा बहस सुनने एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के अवलोकन उपरान्त भविष्य में विवाद न बढ़े, इसलिए दिनांक 24.01.2017 को अपीलाधीन भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा उपस्थित आये व दिनांक 06.11.2017 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया जिस पर बहस उभयपक्ष सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया।

4. रेस्पो. सं. 1 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि न्यायालय के समक्ष उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश क्रमांक 1013 दिनांक 05.12.2011 व तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश क्रमांक 3899 दिनांक 16.12.2011 और 1466 दिनांक 08.08.2008 को पारित मूल आदेश की पालना में ग्राम गोपालसर तहसील सूरतगढ़ के रिकॉर्ड में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 432 दिनांक 01.05.2012 के विरुद्ध अपील पेश की गई है जो कि मूल आदेश की पालना में स्वीकृत इन्तकाल के विरुद्ध अपील पेश की है, जबकि अपील मूल आदेश के विरुद्ध किये जाने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. रेस्पो. सं. 1 द्वारा दिये गये उक्त प्रार्थना–पत्र के जवाब में अपीलांट ने दिनांक 06.03.2018 को जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र गलत तथ्य दिये जाकर पेश किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.12.2011 का ना होकर 12.12.2011 का जारी किया गया है व 50 बीघा के स्थान पर 40 बीघा रकबा अंकित किया है, 10 बीघा रकबा कौन से खसरे में कम किया है, यह स्पष्ट नहीं है। अपील पेश होने के एक वर्ष पश्चात् बिना कोई धारा के प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो निरस्त योग्य है।

6. सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.2018 व अपीलांट के जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.03.2018 एवं बहस तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि रेस्पो. सं. 1 को तहसीलदार सूरतगढ़ के प्रकरण/आदेश क्रमांक 1466 दिनांक 08.08.2008 द्वारा रोही गोपालसर के खसरा नं. 181/21 व 285/2 में 10.120 है0 यानि 40 बीघा भूमि की खातेदारी दी गई है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 1012 दिनांक 12.12.2011 के द्वारा रेस्पो. सं. 1 को दिये गये खातेदारी अधिकार दिनांक 08.08.2008 के बाद खसरा नं. 181/21 के स्थान पर खसरा नं. 181/2 व खसरा नं. 285/2 के स्थान पर खसरा नं. 285/3 का अंकन 50 बीघा में से 10 बीघा कम करते हुए 40 बीघा की दुरूस्ती की गई है। चूंकि रेस्पो. सं. 1 को पुख्ता आवंटन पत्रावली सं. 329/92 दिनांक 15.05.1992 में खसरा नं. 181/21 ही अंकित है एवं इसी खसरा नं. 181/21 में खातेदारी दी गई। खसरा परिवर्तन करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं होते हुए भी खातेदारी दिये जाने के बाद खसरा परिवर्तन किया गया है जो कि नियमविरुद्ध होने से अपने आप में शून्य है। अतः रेस्पो. सं. 1 द्वारा दिया गया प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.2018 निरस्त किया जाता है।

7. अपील पर बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गोपालसर के इन्तकाल सं. 432 के कॉलम सं. 2 ता 7 में खसरा नं. 421/181 में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Scanned by CamScanner

4.149 है0 व खसरा नं. 574/285 में 3.795 है0 रकबा टी.सी. दर्ज किया है व नीचे के खसरा नं. 181/2 में 4.022 है0 बारानी आराजीराज दर्ज किया गया है व कॉलम सं. 16 में खातेदारी क्रमांक 1466 दिनांक 08.08.2008 का इन्द्राज किया है, जबकि खातेदारी क्रमांक 1466 दिनांक 08.08.2008 में सोही गोपालसर के खसरा नं. 181/21 व 285/2 का 10.120 है0 रकबा अंकित है, इसलिए आराजीराज से खसरा नं. 181/2 व 421/181 को खातेदारी में बिना अंकित रकबा को इन्तकाल में स्वीकृत किया है॥ इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 05.12.2011 का इन्द्राज किया गया है जिसमें खसरा नं. 181/2 व 285/3 का 50 बीघा के स्थान पर 10 बीघा कम करते हुए 40 बीघा रकबा की दुरुस्ती की गई है जिसमें खसरा नं. 421/181 का 4.149 है0 रकबा कहीं भी दर्ज नहीं है॥ सोही गोपालसर के इन्तकाल सं. 398 दिनांक 07.12.2010 द्वारा अपीलांट के नाम खसरा नं. 181/2 का 2.935 है0 व खसरा नं. 421/181 का 4.149 है0 रकबा खातेदार दर्ज हो चुका था जो अपीलांट के कब्जा काश्त में है व दैनिक डायरी पटवारी हल्का रिपोर्ट से प्रमाणित है, इसलिए खसरा नं. 181/2 व 421/181 में रकबाराज बचा ही नहीं तो इन्तकाल सं. 432 रेस्पो. के नाम दर्ज नहीं हो सकता॥ अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1985 पेज सं. 17, आर.आर.डी. 2002 पेज सं. 671, आर.आर.डी. 1978 पेज सं. 1 एस.बी. प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें हितबद्ध को सुना जाना आवश्यक है, अपील की जा सकती है, इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है॥

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.2018 में अंकित तथ्यों को दोहराया व अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया॥

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Scanned by CamScanner

9. बहस सुनने के पश्चात् बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का गंभीर मनन, चिंतन, अवलोकन किया गया। अपीलांट को सर्वप्रथम रोही गोपालसर के खसरा नं. 181/2 में 28 बीघा भूमि सम्वत् 2041 वर्ष 1984–85 में उपनिवेशन तहसील रा.न.प. सूरतगढ़ नं. 2 द्वारा टी.सी. पर आवंटन की गई। उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को धारा 121 की जमाबन्दी ग्राम गोपालसर बनाकर दी गई जिसमें खाता सं. 86 में जेठाराम पुत्र उमाराम रेगर सा. देह एक साला अस्थाई खसरा नं. 181/2 में 28 बीघा बारानी दर्ज है। तहसील सूरतगढ़ द्वारा जारी खातेदारी अधिकार पत्र क्रमांक 2867 दिनांक 10.10.2008 में भी अपीलांट के नाम से खसरा नं. 181/2 में खातेदारी जारी की गयी है। रोही गोपालसर के इन्तकाल सं. 398, जो कि दिनांक 07.12.2010 को जेठाराम पुत्र उमाराम के नाम दर्ज हुआ, में भी खसरा नं. 181/2 अंकित है। उक्त 181/2 जब नई जमाबन्दी बनी तो उसमें 181/2 को नये नम्बरान अनुसार 421/181 अंकित किया गया है। उक्त इन्तकाल दिनांक 07.12.2010 को दर्ज होकर 13.07.2012 को स्वीकृत हुआ है।

10. रेस्पो. सं. 1 के पुत्र साहबराम पुत्र रूपराम जाति जाट द्वारा एक परिवाद पुलिस थाना राजियासर में मु.नं. 70 दिनांक 04.04.17 को रोही गोपालसर के खसरा नं. 181/2 में कब्जे के सम्बन्ध में पेश किया गया जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया गया एवं अपने अनुसंधान में अन्तिम पैरा में अंकित किया कि **"प्रकरण में परिवादी के पिता रूपराम का खसरा नं. 181/2 में कब्जा नहीं रहा है। इस बाबत पूर्व की फसल गिरदावरी में भी कच्ची पेंसिल से नोट अंकित है तथा मुकदमा के अनुसंधान से पाया गया कि परिवादी पक्ष का इस खसरा नं. 181/2 में कब्जा नहीं रहा है तथा जब तक भूमि पर कब्जा साबित नहीं होता तब तक लोन नहीं दिया जा सकता। जांच से विवादित भूमि का कब्जा तथाकथित आरोपी जेठाराम का पाया गया है तथा एक ही जमीन का रिकॉर्ड दो जगह दर्ज है। इस कारण परिवादी पक्ष ने अपनी सुविधा**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 7 पर

Scanned by CamScanner

सन्तुलन के लिए इस जमीन पर ऋण लेने का प्रयास किया तथा मौका पर गैर परिवादी को इस बात का पता चलने पर परिवादी पक्ष की शिकायत की तब जांच में परिवादी पक्ष का कब्जा नहीं होना पाया जाने पर उक्त जमीन पर परिवादी पक्ष के रूपाराम का स्वीकृत हुआ लोन बैंक ने वापिस जमा करवा लिया। इसी बात से नाराज होकर परिवादी ने यह मुकदमा बढ़ा–चढ़ाकर दर्ज कराया है। परिवादी पक्ष व तथाकथित आरोपी जेठाराम का इस जमीन को लेकर एस.डी.एम. कोर्ट सूरतगढ़ में वाद चल रहा है तथा परिवादी पक्ष द्वारा इस पर पहले ही अपना कब्जा साबित करने के लिए लोन उठा लिया गया था। जब जांच में जमीन का कब्जा नहीं होने का कारण ऋण वापिस बैंक द्वारा करा लिया गया। प्रकरण में सरकारी कर्मचारी नायब तहसीलदार राजियासर, हल्का पटवारी, तथाकथित आरोपी जेठाराम के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध घटित होना नहीं पाया गया है। परिवादी द्वारा जानबूझकर यह मुकदमा झूठा दर्ज कराना पाया गया है।"

11. पत्रावली में घटना बही दैनिक डायरी पटवार मण्डल लालनाढ़िया दिनांक 16.12.2016 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार घटना बही में अंकित किया है कि जेठाराम पुत्र उमाराम जाति रेगर का रोही गोपालसर के खसरा नं. 181/2 पर पिछले लगभग 30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। मौतबिर व्यक्तियों अनुसार रूपराम पुत्र जगनाल जाति जाट नाम का व्यक्ति इस खसरे में कभी भी काश्त करता हुआ नहीं देखा गया एवं ना ही अड़ौसी–पड़ौसी काश्तकार इस व्यक्ति को जानते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से रोही गोपालसर के खसरा नं. 181/2 नया खसरा नं. 421/181 पर जेठाराम पुत्र उमाराम जाति रेगर सा. गोपालसर का कब्जा होना सिद्ध होता है।

12. रेस्पो. सं. 1 को दिनांक 15.05.1992 को रोही गोपालसर के खसरा नं. 181/21 में 25 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पुख्ता आवंटन की गई जिसकी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा खातेदारी दिये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 8 पर

से पूर्व रिपोर्ट पटवारी ली गई। रिपोर्ट पटवारी में भी खसरा नं. 181/21 अंकित किया गया है व इसी खसरा पर रेस्पो. का कब्जा बताया गया है। तहसीलदार द्वारा जारी खातेदारी अधिकार पत्र दिनांक 08.08.2008 में भी खसरा नं. 181/21 ही अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक 1012 दिनांक 12.12.2011 में रोही गोपालसर के खसरा नं. 181/21 के स्थान पर 181/2 व 185/2 के स्थान पर 185/3 का अंकन व 50 बीघा के स्थान पर 10 बीघा कम करते हुए 40 बीघा की दुरूस्ती की गई है। आदेश में 10 बीघा किस खसरे का कम किया गया है, यह अंकित नहीं है। खसरा परिवर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त आदेश शून्य है।

13. अनुसूचित जाति की भूमि को किसी भी प्रकार से अन्य जाति के व्यक्ति को दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उपरोक्त खसरा परिवर्तन नियमविरुद्ध व आधारहीन है।

14. तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश रोही गोपालसर तहसील सूरतगढ़ के इन्तकाल सं. 432 दिनांक 01.05.2012 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/18
(चांदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner